न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 48/2015/प्रा. पत्र रेफरेन्स

1. मोहर सिंह पुत्र सेडूराम 2. बनवारी लाल पुत्र सेडूराम 3. सीताराम पुत्र रामनाथ	समस्त जाति जाट, निवासीगण वार्ड नम्बर 4, ढ़ाणी भानावाली श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जला सीकर (राज.)

प्रार्थीगण्

बनाम

1. बंशीधर पुत्र नन्दाराम 2. राम अवतार पुत्र नन्दाराम 3. औंकार सिंह पुत्र नन्दाराम 4. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल (मृतक) 4.1 पतासी देवी पत्नी स्व. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल 4.2 राम सिंह पुत्र स्व. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल 4.3 पिन्टु सिंह पुत्र स्व. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल 4.4 लोकेश कुमार पुत्र स्व. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल 4.5 अनिता पुत्री स्व. शिम्भूसिंह उर्फ शंभुदयाल 5. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल (मृतक) 5.1 सजनी देवी पत्नी स्व. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल 5.2 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल 5.3 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल 5.4 प्रताप सिंह पुत्र स्व. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल 5.5 मीना पुत्री स्व. रिछपाल सिंह उर्फ रिछपाल 6. झाबरसिंह उर्फ बोदूराम पुत्र मुरली 7. राधा देवी पत्नी चतुर सिंह उर्फ चौथू	समस्त जाति जाट, निवासीगण वार्ड नम्बर 4, ढ़ाणी भानावाली, श्रीमधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)
8. तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 9. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर	
10. बाबूलाल पुत्र जयनारायण 11. सुग्रीव पुत्र जयनारायण 12. सुरस्ती पत्नी जयनारायण	समस्त जाति जाट, निवासीगण वार्ड नम्बर 4, ढ़ाणी भानावाली, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)

अप्रार्थीगण्

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

प्रा. पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा –18 एवं 30 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा अन्तर्गत धारा– 64 एवं 76 भूमि अर्जन, पुनः स्थापना एवं पुनः व्यवस्थापन अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. वकील श्री नोपाराम जांगिड़ प्रार्थीगण की ओर से।
2. वकील श्री प्रभातीलाल अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से।

निर्णय

सुनवाई दिनांकः २२-०२-2018 निर्णय दिनांक :२०मार्च, 2018

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) कस्बा श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.26 है. एवं खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.040 है. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 7 व 10 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में से पश्चिमी मालभाड़ा कोरीडोर परियोजना हेतु क्रमशः 0.0742 है., 0.1299 व 0. 1294 है. भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने उक्त भूमि अवाप्त हेतु उक्त भूमि के सह खातेदारों को इनका खातेदारी व कब्जे काश्त के हिस्सानुसार मुआवजा राशि प्रदान कर दी। अवार्ड पारित होने के बाद एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने के बाद अवाप्त की गई भूमि भारतीय रेलवे के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 2084/1, 2085/1 व 2086/1 दर्ज कर दी तथा अवाप्ति के बाद शेष रही भूमि सह खातेदारों के नाम खसरा नम्बर 2084/2 रकबा 0.0958 है., खसरा नम्बर 2085/2 रकबा 0.1301 है. व खसरा नम्बर 2086/2 रकबा 0.2700 है. दर्ज कर दिया। अवार्ड पारित करते समय सह खातेदारान के मध्य मुआवजा राशि के विभाजन बाबत कोई विवाद नहीं था तथा अवार्ड पूर्ण हो चुका था।

(2) अप्रार्थी संख्या 9 ने उक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के बाद प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से प्रेषित नोटिस क्रमांक 68, 69 व 70 दिनांक 07.04. 2015 इस आशय का दिनांक 08.04.2015 को प्राप्त हुआ कि भूमि अवाप्ति अधिकरी के आदेशानुसार आपको पूर्व में भुगतान की गई मुआवजा राशि क्रमशः 32078/–, 29059/–, 29059/– रूपये वसूली की जानी है क्योंकि अवाप्त की गई भूमि पर आपका कब्जा होना प्रमाणित नहीं हुआ है इसलिए भुगतान की गई राशि की वसूली भू–राजस्व नियमों के अन्तर्गत की गई है। अतः 7 दिवस

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

के अन्दर राशि जमा करवा दें अन्यथा नियमानुसार आपकी चल, अचल सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा वसूल की जावेगी।

(3) उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 9 भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में उक्त कथित आदेश की नकल दिनांक 09.04.2015 को मिली। अप्रार्थी संख्या 9 भूमि अवाप्ति अधिकारी के उक्त आदेश में यह विवरण दिया गया है कि मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु कब्जाधारी खातेदारान ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर हेतु जो भूमि अधिगृहीत की जा रही है उस भूमि पर कब्जा उक्त अप्रार्थीगण 1 से 7 का है। अतः उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को न दिया जाकर हम कब्जाधारियों को दिलाया जावे क्योंकि पारस्परिक बंटवारें में हमारे हिस्से में आई है। अतः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर काबिज खातेदारान को ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जावे।

(4) उक्त आदेश के विवरण अनुसार अप्रार्थी संख्या 9 भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर से भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 की मौका रिपोर्ट मंगवाई। पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.04.2012 में खसरा नम्बर 2084 पर औंकार पुत्र नन्दा, खसरा नम्बर 2085 पर शिम्भू पुत्र मुरलीधर व 2086 पर राधा देवी का अलग अलग सीमा व कब्जा मौक पर बताया गया।

(5) भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 10 से 12 का कब्जा न मानकर पूर्व में भुगतान की गई मुआवजा राशि को भू–राजस्व नियमों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही कर बाद वसूली अवाप्ति से दर्ज नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 2084 में अवाप्त रकबा 0.0742 है. का मुआवजा बंशीधर, रामावतार पव औंकार, खसरा नम्बर 2085 में अर्जित रकबा 0.1299 है. का मुआवजा शिम्भूसिंह, रिछपाल सिंह व झाबर सिंह तथा खसरा नम्बर 2086 में अवाप्त रकबा 0.1294 है. का मुआवजा राशि राधा देवी को देने एवं अवाप्तशुदा भूमि का संबंधित खातेदारों के हिस्से में से कम किया तथा नामान्तरकरण भारतीय रेलवे के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया।

(6) भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पश्चिमी मालभाड़ा कोरीडोर परियोजना हेतु कस्बा श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 में से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 7 व 10 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में से क्रमशः 0.0742 है., 0.1299 व 0.1294 है. भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्त करने का नोटिस देकर उक्त भूमि संयुक्त खातेदारान को इनके हिस्सानुसार

जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

मुआवजा राशि प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया। संयुक्त खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 10 से 12 ने अपने हिस्सानुसार मुआवजा राशि प्राप्त कर ली तथा अपना संयुक्त कब्जा संभला दिया। अवाप्त की गई भूमि रेलवे के नाम तथा शेष भूमि संयुक्त रूप से सह खातेदारान के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष सह खातेदारान के मध्य कोई विवाद नहीं था तथा अवार्ड पूर्ण हो चुका था। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई थी। इसके बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी को चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं था।

(7) चुनौग्रस्त आदेश को देखने से स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने समस्त कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की साजिश से की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के द्वारा किस तारीख को आवेदन पेश किया गया है तथा किस तारीख को चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया है तथा किस तारीख को प्रार्थना पत्र दर्ज किया है इसका कोई विवरण चुनौग्रस्त आदेश में नहीं है तथा न ही आदेश में कथित प्रार्थना पत्र उपलब्ध है जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सारी कार्यवाही अवैध एवं अनियिमित रूप से की है।

(8) भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 10 से 12 को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा न सुनवाई का मौका दिया तथा चुनौतीग्रस्त आदेश मनमाने ढंग से एक पक्षीय रूप से प्रार्थीगण की पीठ पीछे पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विरूद्व है।

(9) भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 10 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में से अवाप्त की गई है। राजस्व रिकॉर्ड से यह साबित है कि भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट बिना सुनवाई एव सूचना दिये मंगाने का आदेश दिया जिस पर पटवारी हल्का ने भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 10 से 12 को मौके की कार्यवाही से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया।

(10) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक (कोई तिथि अंकित नहीं है) की जानकारी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा नोटिस दिनांक 07.04.2015 प्रेषित करने के बाद नोटिस दिनांक 08.04.2015 को प्राप्त होने व इसकी नकल दिनांक 09.04.2015 को मिलने पर चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी हुई।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनौतीग्रस्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु समक्ष न्यायालय को रेफरेन्स किया जावे।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री प्रभातीलाल उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 8 से 12 की ओर कोई उपस्थित नहीं आये।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभातीलाल ने विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य सक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.26 है. एवं खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.040 है. वाकै ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से पश्चिमी मालभाड़ा कोरीडोर परियोजना हेतु कमशः 0.0742 है., 0.1299 व 0. 1294 है. भूमि रेल अधिनियम 1989 एवं रेलवे फंट कोरीडोर नियमों के तहत अवाप्त की गई। कृषि भूमि की प्रतिकर राशि के विभाजन को चुनौती देकर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 एवं 30 तथा 2013 के अधिनियम की धारा 64 व 76 के तहत प्रार्थीगण ने रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का पुराना अधिनियम, नया अधिनियम दिनांक 26. 09.2013 को लागू होने के बाद समाप्त हो चुका है। अर्थात जो अधिनियम प्रभाव में ही नहीं है उस अधिनियम के तहत रिफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया है।

(2) कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 वाकै कस्बा श्रीमाधोपुर में से रेलवे फन्ट कोरीडोर हेतु भूमि अधिगृहीत की है वह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवाप्त नहीं की गई है बल्कि उक्त भूमि रेल अधिनियम 1889 के तहत अवाप्त की गई है। जिस कारण रेलवे फन्ट कोरीडोर द्वारा अधिगृहीत भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जिस कारण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत वर्णित चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों पर लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है।

(3) रेल अधिनियम 1989 के तहत अवाप्त की की गई भूमि के संबंध में रेफरेन्स आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अर्थात रेल अधिनियम के तहत रेफरेन्स का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं है और ना ही भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत रेलवे हेतु अवाप्त भूमि के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है।

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण रेफरेन्स आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पश्चिमी मालभाड़ा कोरीडोर परियोजना हेतु कस्बा श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 में से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 7 व 10 से 12 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में से क्रमशः 0.0742 है., 0.1299 व 0.1294 है. भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्त करने का नोटिस देकर उक्त भूमि संयुक्त खातेदारान को इनके हिस्सानुसार मुआवजा राशि प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया। संयुक्त खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 10 से 12 ने अपने हिस्सानुसार मुआवजा राशि प्राप्त कर ली तथा अपना संयुक्त कब्जा संभला दिया। अवाप्त की गई भूमि रेलवे के नाम तथा शेष भूमि संयुक्त रूप से सह खातेदारान के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष सह खातेदारान के मध्य कोई विवाद नहीं था तथा अवार्ड पूर्ण हो चुका था। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई थी। इसके बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी को चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनौतीग्रस्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु समक्ष न्यायालय को रेफरेन्स किया जाना प्रार्थनीय है।

6. वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का मुख्य कथन है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 एवं 30 तथा 2013 के अधिनियम की धारा 64 व 76 के तहत प्रार्थीगण ने रेफरेन्स आदेवन प्रस्तुत किया है। जबकि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का पुराना अधिनियम, नया अधिनियम दिनांक 26.09.2013 को लागू होने के बाद समाप्त हो चुका है। अर्थात जो अधिनियम प्रभाव में ही नहीं है उस अधिनियम के तहत रिफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि रेल अधिनियम 1889 के तहत अवाप्त की गई है। जिस कारण रेलवे फ्रन्ट कोरीडोर द्वारा अधिगृहीत भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत वर्णित चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों पर लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है। रेल अधिनियम 1989 के तहत अवाप्त की गई भूमि के संबंध में रेफरेन्स का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं है और ना ही भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत रेलवे हेतु

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अवाप्त भूमि के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण रेफरेन्स आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि:—

(1) कृषि भूमि खसरा नम्बर 2084, 2085, 2086 वाकै कस्बा श्रीमाधोपुर में से रेलवे फ्रन्ट कोरीडोर हेतु भूमि अधिगृहीत की है वह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवाप्त नहीं की गई है, बल्कि उक्त भूमि रेल अधिनियम 1989 के तहत अवाप्त की गई है।

(2) रेल अधिनियम 1989 के तहत अवाप्त की की गई भूमि के संबंध में रेफरेन्स आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अर्थात रेल अधिनियम के तहत रेफरेन्स का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 20 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner